

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र0 / BSPTCL—12 / 2024—

/ पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु हलसी (लखीसराय) में एक नये 2X80 एम0वी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं शेखोपुरसराय (बी0जी0सी0एल0) जी0आई0एस0 ग्रिड सब-स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु कुल 182.69 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026—27 में 82.50 करोड़ (बेरासी करोड़ पचास लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं0—953 दिनांक—28.02.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु हलसी (लखीसराय) में एक नये 2X80 एम0वी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं शेखोपुरसराय (बी0जी0सी0एल0) जी0आई0एस0 ग्रिड सब-स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु कुल 182.69 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 36.54 करोड़ (छत्तीस करोड़ चौबन लाख) इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में एवं शेष 80% अर्थात् 146.15 करोड़ (एक सौ छियालीस करोड़ पंद्रह लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 20.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 82.50 करोड़ रुपये की मांग गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1500.00 करोड़ रुपये में से प्रथम किश्त के रूप में 990.00 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु हलसी (लखीसराय) में एक नये 2X80 एम0वी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं शेखोपुरसराय (बी0जी0सी0एल0) जी0आई0एस0 ग्रिड सब-स्टेशन में दो जी0आई0एस0 लाईन 'बे' के निर्माण हेतु कुल 182.69 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 82.50 करोड़ (बेरासी करोड़ पचास लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को प्रदान की जाती है।
4. उक्त राशि माँग सं0-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0105-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के स्तर पर Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अन्तर्गत खोले गये SNA Account आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बोरिंग रोड, पटना के खाता सं0-040401016029 एवं IFSC Code-ICIC0000404 में हस्तांतरित की जायेगी।
6. उक्त राशि का व्यय Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र0/BSPTCL-12/2024 के पृष्ठ संख्या-20/टि0 पर दिनांक-25.02.2025 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र0/BSPTCL-12/2024 के पृष्ठ संख्या-42/टि0 पर दिनांक-05.08.2026 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र0 / BSPTCL-12 / 2024-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र0 / BSPTCL-12 / 2024- 4165 / पटना, दिनांक- 05.08.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

05-08-26

